बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स०:–2/अ0प्र0–1–69/2021 836 /पटना, दिनांक :– 13-7-21

श्री कुलानन्द यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंड़ल, गोगरी अतिरिक्त प्रभार कार्य प्रमंडल, खगड़िया को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिये गये निदेश एवं अनुवर्ती Video Conferencing के माध्यम से उक्त निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित/स्मारित किये जाने के बावजूद इनके द्वारा कार्य प्रमंडल, गोगरी एवं कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन विभिन्न योजना अंतर्गत बाढ़–2020 से क्षतिग्रस्त एफ0डी0आर0 के तहत 25 पथों का पुनर्स्थापन कार्य निर्धारित विस्तारित तिथि 05.06.2021 तक पूर्ण नहीं कराया गया, इन पथों के संबंध में जिलाधिकारी, खगड़िया को गलत सूचना दी गयी, विभागीय निर्देशों की अनदेखी करते हुए Geo tagged photographs, MIS पर अपलोड नहीं किया गया, साथ ही PMGSY-I&II के तहत योजनाओं को ससमय पूर्ण कराये जाने में अपेक्षित रूचि नहीं ली गयी एवं दोषी संबंधित संवेदकों के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

2. इस संबंध में FDR monitoring officer से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सहरसा से प्राप्त पत्र के आलोक में श्री यादव, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 731 अनु0 दिनांक 14.06.2021 द्वारा तथा PMGSY से संबंधित दिनांक 01.04.2021 को सम्पन्न समीक्षा बैठक के कार्यवाही प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय पत्रांक 730 अनु0 दिनांक 14.06.2021 द्वारा तीन दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया था, किन्तु श्री यादव द्वारा वांछित स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। श्री यादव का उक्त कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय उच्चस्तरीय निदेश की अवहेलना का द्योतक है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री कुलानन्द यादव, कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः उक्त के आलोक में श्री कुलानन्द यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी अतिरिक्त प्रभार, कार्य प्रमंडल, खगड़िया (सम्प्रति सेवा योजना एवं विकास विभाग को) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 की सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री यादव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13.7.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,& secy-reo-bih@nic.

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–69/2021 837 /पटना, दिनांक :– 13-7-21

प्रतिलिपि:– प्रभारी पदाधिकारी ई–कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त हार्ड कॉपी के साथ गजट के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

13.7.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–69/2021 837 /पटना, दिनांक :– 13-7-21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.7.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–69/2021 837 /पटना, दिनांक :– 13-7-21

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, खगड़िया/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–12, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री कुलानन्द यादव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी अतिरिक्त प्रभार, कार्य प्रमंडल, खगड़िया (सम्प्रति सेवा योजना एवं विकास विभाग को) **द्वारा** :– विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.7.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–69/2021 837 /पटना, दिनांक :– 13-7-21

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

13.7.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–09/2021 837 /पटना, दिनांक :– 13-7-21

प्रतिलिपि:– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13.7.21

उप सचिव